सार-समाचार

महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव 30 को

बूंदी । बघेरवाल दिगंबर जैन समाज की ओर से श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी का जन्मकल्याणक महोत्सव आगामी 30 मार्च 2026 को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, देवपुरा में आयोजक समिति के संयोजक महावीर हरसोरा (पाटन वालों) की उपस्थिति में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने महोत्सव को भव्य बनाने हेतु सभी से सहयोग का आव्हान किया । मीडिया प्रभारी मनोज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 एवं 29 मार्च को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा व 30 मार्च शाम को एक शाम भगवान महावीर के नाम भव्य कवि सम्मेलन जैन बघेरवाल छात्रावास देवपुरा बूंदी में आयोजित किया जाएगा । इस अवसर पर समिति संरक्षक बिरधी चन्द धनोप्या, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सेठिया, राजेंद्र सांमरिया, नरेंद्र कोटिया, अशोक सबदरा, प्रेमचंद टोला,पदम बोरखंडिया, विनोद कोटिया, मनोज सेठिया (बांसी वाले), धर्मेंद्र धानोत्या, नमन, अनीता हरसोरा, अनीता सेठिया सहित अन्य सभी प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी, भोजन व्यवस्था प्रभारी व समाज बंधु उपस्थित रहे

अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समितियों की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। कलक्टर ने निर्देश दिए कि विभाग की योजनाओं का लाभ सभी पात्र जनों को सुलभ हो, इसके लिए संबंधित समितियां विभिन्न गतिविधियों का कुशलता से निष्पादन करें। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनिटरिंग करें। जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन् स्वरोजगार योजना में आवेदनों की स्थिति पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए के लंबे आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। यूडीआई योजना, दहेज प्रतिषेध, स्वाधार गृह, वृद्ध आश्रम, ट्रांसजेंडर कल्याण, नवजीवन योजना, अंत्येष्टि अनुदान, सिलिकोसिस, जिला प्रबंधन दल, नशा मुक्त भारत अभियान, अस्वच्छकार कल्याण योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकाधिक पात्र जनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की तथा विभिन्न प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। जिनका जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन किया गया। समितियों के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

31 तक कराएं भौतिक सत्यापन

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धजन, एकलनारी, दिव्यांजनों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी भौतिक सत्यापन 31 मार्च तक ई-मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा नहीं हो पाएगी एवं उनकी पेंशन का आवेदन स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया ने बताया कि लाभार्थी पेंशन योजना के लिए मोबाईल पर उपलब्ध कराए गए मोबाईल एप राजस्थान सोशल पेंशन (राजएसएसपी) के माध्यम से भी लाभार्थी घर बैठे ही भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जिले में कुल 2 लाख 15 हजार 547 लाभार्थी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। किन्तु अब तक जिले में 2 लाख 5 हजार 848 पेंशनर ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है। वर्तमान में 9 हजार 699 पेंशनर भौतिक सत्यापन से शेष हैं।

स्कूल का उत्कृष्ट परिणाम

रामगंजमंडी, (निसं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 24 मार्च मंगलवार को जारी 10 बोर्ड परीक्षा परिणाम में श्री हीरा भाई परीख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमंडी की बालिकाओं ने 88.46 प्रतिशत परिणाम के साथ उत्कृष्ठ प्रदर्शन किया। 182 प्रविष्ट छात्राओं में से 161 उत्तीर्ण रही जिसमें से 63 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी,79 छात्राओं ने द्वितीय एवं 19 छात्राओं ने तृतीय श्रेणी हासिल की।

देहदानियों को मिले राजकीय सम्मान पर हस्ताक्षर अभियान

■ श्रद्धांजलि सभा में, 400 लोगों ने हस्ताक्षर कर, देहदानियों को मिले राजकीय सम्मान पर उठाई माँग

कोटा, (निसं)। शाइन इंडिया फाउंडेशन के अनवरत सतत् प्रयासों से नेत्रदान के बाद, अब कोटा शहर, देहदान के क्षेत्र में प्रदेश में, नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। शाईन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से अब शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी नेत्रदान और देहदान का कार्य बढ़ने लगा हैं। बीते दिनों रविवार को, शाईन इंडिया के सहयोग से बजरंग नगर निवासी डॉ. राजश्री गोहदकर के देहदान के लिए संकल्पित, पिता प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर (प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ) के आकस्मिक निधन के उपरांत परिजनों ने उनका देहदान संपन्न कराया था। मूलतः ग्वालियर, मध्य प्रदेश के रहने वाले एवं मध्यप्रदेश सरकार के शिखर सम्मान से सम्मानित प्रभाकर का पूरा जीवन संगीत को समर्पित रहा। उनकी बड़ी बेटी, प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे वर्तमान में ग्वालियर के श्री राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं।

पिता के देहदान के बाद में, जब उनकी जानकारी में आया कि, राजस्थान सरकार में देहदानी को, प्रशासन के माध्यम से गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान नहीं दिया जाता है, तब उनका मन काफी आहत हुआ। उन्होंने कहा कि यदि, हमें पहले यह जानकारी होती तो, पिता का देहदान राजस्थान में ना कर, शायद ग्वालियर के किसी मेडिकल कॉलेज में करते। ग्वालियर से संगीत घराने से आए कई प्रबुद्ध नागरिक संगीतज्ञ, शिक्षाविद्, प्रोफेसर और शोधार्थीयों को भी जब इस बात का पता चला तो सभी ने कहा कि, इस तरह की पुण्य कार्यों में राजस्थान सरकार को भी अंगदानी और देहदानी परिवारों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का प्रावधान करना चाहिऐं।

सभी की मंशा को जानकर शाईन इंडिया फाउंडेशन ने, देहदानी स्व. प्रभाकर गोहदकर की श्रद्धांजलि सभा में, अंगदानी और देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिले इस क्रम में एक हस्ताक्षर अभियान गीता भवन में आयोजित किया गया। जिसमें 400 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर देहदानियों को राजकीय सम्मान देने की मांग की है। ज्ञात हो कि, संस्था शाइन इंडिया, कोटा की खूबी सिक्योरिटीज के साथ मिलकर वर्तमान में हो रहे सभी देहदानी परिवारों को सेरिमनी कार्ड के माध्यम से गार्ड ऑफ़ ऑनर देने का कार्य कर रही हैं। शाईन इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि अंगदानी देहदानी को एक सम्मानित कार्य बनाया जाए और उनको राजकीय सम्मान दिया जाऐं। इससे लोगों में अंगदान देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग इस कार्य में आगे आएंगे। जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, चिकित्सा सचिव, पुलिस महानिदेशक को भी संस्था की ओर से, राजस्थान प्रदेश में भी गार्ड ऑफ ऑनरष को लागू करने के लिये, अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।

घुटना प्रत्यारोपण के बिना इलाज की संभावना

कोटा । लुधियाना के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं विश्व विख्यात डॉ. एन.के.अग्रवाल एक नई 360-डिग्री उपचार पद्धति पेश कर रहे हैं जो घुटने के जोड़ बदलने के स्थान पर जोड़ को पुनः स्वस्थ और सामान्य करने पर केंद्रित है। आज के इस परिवर्तन के दौर में जीवनशैली में बदलाव, उम्र बढ़ने और शरीर में व्यापक सूजन के कारण घुटने का दर्द, जो पहले बुजुर्गों की समस्या माना जाता था, अब युवाओं को भी प्रभावित कर रहा हैं। डॉ.अग्रवाल के अनुसार, घुटने का दर्द केवल एक जोड़ की समस्या ही नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर से जुड़ी बीमारी का संकेत है। उनके शोध ने एक ऐसा उपचार विकसित किया है जो घुटने के दर्द और व्यापक सूजन को ठीक करने के लिए पीआरपी, पीआरजीएफ, स्टेम सेल थेरेपी और बोन मैरो कंसेंट्रेट जैसी आधुनिक जैविक तकनीकों का उपयोग करता हैं। डॉ.अग्रवाल के अनुसार नए प्रोटोकॉल के साथ 300 से अधिक घुटनों का इलाज किया है, और 95 प्रतिशत रोगियों परिणाम अच्छे से बहुत अच्छे हैं। यह नया उपचार सुरक्षित, किफायती और आवश्यकता होने पर इसे दोहराया जा सकता हैं। उन्होंने रोगियों को सन्देश देते हुए कहा कि वे घुटने के दर्द को नजरअंदाज न करें।

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ पिता सेवा क्रमांक 15719166-P, पद LNK नाम राकेश कुमार C/o 56 APO निवासी ग्राम खजूरी चंद्रावत, पोस्ट नाहरगढ, जिला मंदसौर, म.प.-458558 मेरे पुत्र के सेवा अभिलेखों में मेरा नाम श्री दशरथ लाल तथा जन्मतिथि 01.08.1975 अंकित है, जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम दशरथ है तथा मेरी सही जन्मतिथि 01.01.1973 है। भविष्य में मैं सभी अभिलेखों हेतु दशरथ नाम से ही जाना जावे तथा मेरी सही जन्मतिथि 01.01.1973 ही मान्य होगी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101178 **लोक सूचना** दिनांक: 24/03/2026

श्री RAJASTHAN SHIKSHA EVAM PRASHIKSHAN SAMITI JARIYE ADHYAKSH WASIM ANSARI पुत्र श्री AABID HUSSAIN जाति MUSLIM निवासी 3, SPESIAL VISTAR YOJNA, VIGYAN NAGAR, KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	रंगतलाब उर्फ कालातालब, लाडपुरा (कोटा)	RAJASTHAN SHIKSHA EVAM PRASHIKSHAN SAMITI JARIYE ADHYAKSH WASIM ANSARI S/O AABID HUSSAIN JAATI MUSALMAN NIWASI 3 SPESIAL VISTAR YOJANA VIGYAN NAGAR , KOTA	476	5150	0.515
2	रंगतलाब उर्फ कालातालब, लाडपुरा (कोटा)	RAJASTHAN SHIKSHA EVAM PRASHIKSHAN SAMITI JARIYE ADHYAKSH WASIM ANSARI S/O AABID HUSSAIN JAATI MUSALMAN NIWASI 3, SPESIAL VISTAR YOJANA VIGYAN NAGAR,KOTA	484	3450	0.345
				कुल	0.86

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-03-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101171 **लोक सूचना** दि.24.03.2026

श्री PRABHU पुत्र श्री NATHU जाति DHAKAD निवासी BADA SOGARIYA KOTA JN KOTA श्री SURESH पुत्र श्री NATHU जाति DHAKAD निवासी BADA SOGARIYA KOTA JN KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	SURESH S/O NATHU CASTE-DHAKAD SA.DEH KHATEDAR	220	7000	0.7
2.	सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	SURESH S/O NATHU CASTE-DHAKAD SA.DEH KHATEDAR	221	500	0.05
3.	सोगरिया, लाडपुरा (कोटा)	PRABHU S/O NATHU CASTE-DHAKAD SA.DEH KHATEDAR	638/220	4300	0.43
				कुल	1.18

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24/03/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपांतरण नगर परिषद, बारां

क्रमांक-नपबा/रूपा./2025/12687-88 **लोक सूचना** दिनांक-17.03.2026

श्री रामगोपाल पुत्र श्री रामप्रताप निवासी पीलीया कोलोनी समाज कल्याण विभाग के पास गजनपुरा बारां तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील जिला बारां	नलका	958/658	0.5071 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने अपेक्षा प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है, और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज..... को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 106/2026

श्री महेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, 720. मेन रोड बसंत विहार, कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास भारतीय शिक्षा संस्थान, बारां (राज.), भारत फिलिंग स्टेशन, शाहबाद रोड, बारां के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है. में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 28.05.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 227 **नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 23.3.26

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-37 (कॉर्नर) व्यवसायिक भूखण्ड अनन्तपुरा स्टोनमण्डी योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-681 दिनांक 19.05.1986 द्वारा मैसर्स संजय स्टोन सप्लायर्स श्री चांदमल जैन पुत्र श्री कजोडमल जैन को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री चांदमल जैन की मृत्यु दिनांक 19.11.2018 को हो चुकी है। स्व. चांदमल जैन के विधिक वारिसान संजय कमार जैन की भी मृत्यु दिनांक 21.02.2024 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात स्व. चांदमल जैन के विधिक वारिसान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/ आवास संख्या-37 (कॉर्नर) व्यवसायिक योजना अनन्तपुरा स्टोनमण्डी का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व. चांदमल जैन एवं श्रीमती सीमा जैन पत्नी स्व. संजय कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 230 **नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 24.3.26

नगर विकास न्यास कोटा की ट्रांसपोर्ट नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर) योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 590 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 18.08.2021 को मै. सुपर हरियाण रोड लाईन्स प्रो. श्री प्रमोद कुमार पांचाल को किया गया था। आवंटी श्री प्रमोद कुमार पांचाल की मृत्यु दिनांक 01.08.2022 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमती डॉली कौशिक के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरान्त आवंटी के वसीयत हकदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, वसीयतनामा, गवाह शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 590 योजना ट्रांसपोर्ट नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर) का नाम हस्तान्तरण श्रीमती डॉली कौशिक पत्नी श्री राकेश कौशिक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2286 **विज्ञप्ति** दिनांक : 24.3.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा खसरा नं. 83 में स्थित कृषि भूमि योजना समृद्धि नगर स्पेशल भूखण्ड संख्या सी-19 आवेदक/आवेदिका श्री जगदीश कुमार कपूर पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र लाल निवासी 88 नजदीक सेटालाइट हॉस्पिटल, रामपुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत्त किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 1937 दिनांक 30.05.2022 को श्री राजेश कपूर पुत्र स्व. जोगेन्द्र लाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 04.04.2025 को हो चुकी है। मृतक अविवाहित थे। मृतक के विधिक वारिसान भाई जगदीश कुमार कपूर व अनिल कपूर है। वारिसान अनिल कपूर द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 06.03.2026 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री जगदीश कुमार कपूर पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र लाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत्त करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

बूंदी । जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। जिले की सभी गैस एजेंसियों पर वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता है। मंगलवार को मुख्य सचिव एवं शासन सचिव (खाद्य विभाग) के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया गया।पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन गैस बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग से सामान्य में 25 दिन व उज्जवला कनेक्शन में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया है। बुकिंग के पश्चात "डीएसी कोड" से गैस एजेंसियों की ओर से घर-घर आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। हालांकि शैक्षिणक संस्थानों, अस्पतालों और चैरिटेबल ट्रस्टों को मांग के अनुसार आपूर्ति जारी रहेगी। जिला कलक्टर ने सभी तेल कंपनियों को अपने अधीनस्थ डिपो से जिले में आवश्यकतानुसार घरेलू गैस की आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये है।

फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्यवाही

■ संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि भूमि स्वामित्व के अनुसार 5 हजार रुपए (2 एकड से कम), 10 हजार रुपए (2-5 एकड) और 30 हजार रुपए (5 एकड से अधिक) प्रति घटना जुर्माना लगाने का प्रावधान है

कोटा, (निसं)। प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत् फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित किया गया है। किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि भूमि स्वामित्व के अनुसार 5 हजार रुपए (2 एकड से कम), 10 हजार रुपए (2-5 एकड) और 30 हजार रुपए (5 एकड से अधिक) प्रति घटना जुर्माना लगाने का प्रावधान है। फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने से भूमि की उर्वरता शक्ति, मृदा मे उपस्थित सुक्ष्मजीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है एवं जलाने से विभिन्न हानिकारक गैसें वातावरण में छोड़ी फैल जाती है। इससे कैंसर, अस्थमा एवं अन्य हानिकारक रोग होते हैं। किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय भूसा बनाएं, जो पशुओं के चारे में काम आए या भूसा मशीनों से फसल अवशेष की बेलर मशीन से गांठ बना कर बेच सकते हैं। फसल अवशेषों को मृदा में मिला देने से मृदा में खाद का काम करती है।

साथ ही, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होगा तथा फसल उत्पादन व जैव विविधता भी बढ़ेगी एवं मृदा का स्वास्थ्य लम्बे समय तक अच्छा बना रहेगा। कार्बनिक पदार्थ/जीवांश पदार्थ मृदा संसाधन का एक महत्वपूर्ण घटक है परन्तु फसल अवषेशों को जलाने से यह अमुल्य पदार्थ नष्ट हो जाता है जिसके कारण मृदा उर्वरता व उत्पादकता कम हो जाती है। फसल अवशेषों को जलाने से मृदा का तापमान बढ़ जाता है जिससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष जलाने पर भारी मात्रा में हानिकारक गैसें मिथेन, कार्बनडाई ऑक्साईड, सल्फरडाई ऑक्साईड आदि निकलती हैं। जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और जलवायु में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। कृषि अवशेषों को जलाने से मृदा का तापमान बढ़ने से मृदा में उपस्थित मित्र कीट व फफून्द नष्ट हो जाते हैं।फसल अवशेष एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन का एक प्रमुख स्त्रोत होता है एवं मृदा के जैविक, रासायनिक एवं भौतिक गुणों में भी वृद्धि करते हैं। पादप द्वारा अवशोषित कुल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का 25 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत पोटाश जड़ तना एवं पत्तियों में संग्रहीत रहते हैं। कृषि अवशिष्ट को मृदा मे मिलाने से खरपतवारों के अंकुरण एवं बढ़वार में कमी आती है जिससे फसलों की उत्पादकता मे वृद्धि होती है।

भगत सिंह का नाम क्रांतिकारी परिवर्तन के आकाश में हमेशा ध्रुवतारे की तरह चमकता रहेगा

■ विकल्प ष्काव्य गोष्ठी में उभरे सृजन और प्रतिरोध के स्वर

कोटा, (निसं)। नगर की साहित्यिक संस्था विकल्प जन सांस्कृतिक मंच द्वारा क्रांतिकारी महा नायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के शहादत दिवस को साम्राज्यवाद विरोधी, जन चेतना दिवस के रूप में मनाया गया।

अवसर पर प्रेस क्लब, कोटा सभागार में शाम 4 बजे से आयोजित विकल्प काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार ओम कटारा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगत सिंह का नाम विश्व के क्रांतिकारी शहीदों में हमेशा ध्रुवतारे की तरह चमकता रहेगा उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहा चलो जहां प्यासे होठों पर कोई नदी लहराती है काव्य संध्या से पूर्व विचार सत्र में प्रमुख वक्ता राजमल शर्मा ने भगत सिंह का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि साम्राज्यवाद ही युद्ध का कारण है, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो हमेशा के लिए साम्राज्यवादी युद्धों का अंत कर दें। उन्होंने कहा कि भगत सिंह एक उच्च कोटि के विचारक और लेखक भी थे उन्होंने कहा था कि क्रांति बम और पिस्तौल का दर्शन नहीं हैं, विचारों की सान पर ही क्रांति की तलवार तेज होती है।

काव्य गोष्ठी का प्रारंभ कवि किशन वर्मा ने हाड़ौती कविता से किया-अरे बटोही थक मत जाज्यो बटमाराँ को पहरो छै मयंक सोलंकी ने अपने नवगीत में कहा कैसे है आर्तनाद, कैसा विध्वंस, सुलग उठे बम गौरी शंकर जोशी ने कहा-कहा भूख ने प्यास से खुल कर बारम्बार, तेरे मेरे बीच में रोटी की दीवार विशिष्ट अतिथि विजय राघव ने अपनी गज़ल में कहा लूट के डॉलर पर इतराए अमरीकी मकड़ा विजय सिंह पालीवाल ने भगत सिंह के विचारों को समर्पित कविता में कहा- अरे ओ भगतसिंह वाले, तुम हो आज़ादी की सोच के मतवाले प्रसिद्ध शायर चांद शेरी ने अपने शेरों में कहा घर खंजरों में अपना बनाया है तो शेरी, क्यों चैन से जीने की दुआ मांग रहे हो ष्गोष्ठी में विकल्प के अध्यक्ष दिनेश राय द्विवेदी, अहमद सिराज फारूकी, वेद प्रकाश प्रकाश, सीमा तबस्सुम, सत्येन्द्र वर्मा, बी.एल.वर्मा, महेन्द्र नेह, नारायण शर्मा, कृष्ण लाल वर्मा ने अपनी प्रतिनिधि कविताओं का पाठ किया। विकल्प द्वारा नगर के प्रमुख केद्रों-राजकीय महाविद्यालय स्थित भगतसिंह की प्रतिमा पर क्रांतिकारी श्रद्धांजलि के उपरांत सी.बी.गार्डन, विवेकानंद स्मारक, अंबेडकर प्रतिमा परिसर में भगत सिंह के विचारों पर आधारित पोस्टरों का प्रदर्शन किया। पोस्टर जन अभियान का संचालन राजेन्द्र जैन, महेन्द्र पांडेय, अब्दुल गफूर, नारायण शर्मा और शब्बीर अहमद ने किया।

चैत्र नवरात्र पर कन्याओं का पूजन

कोटा । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा घोषित माध्यमिक (दसवीं) परीक्षा परिणाम में एलबीएस अकैडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटा ने इस वर्ष शानदार, गौरवपूर्ण एवं प्रभावशाली परिणाम प्रस्तुत करते हुए एक बार फिर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता सिद्ध की है। विद्यालय के छात्र हरीश कुमार मीणा ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विनीता बैरवा ने 94.83 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा कबीर नामदेव ने 92.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त नैतिक राठौर ने 91.50 प्रतिशत एवं योगिता ने 91 प्रतिशत अंक अर्जित कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। विद्यालय के 53 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर परिणाम को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाया। इस अवसर पर एलबीएस ग्रुप के चेयरमैन कुलदीप माथुर ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई दी।

नाम परिवर्तन

मैने अपना पुराना नाम बानू बाई से बदलकर नया नाम बानो बाई रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-बानो बाई पत्नि स्वर्गीय इस्माईल, बोहरा गली भेरूपाड़ा अन्ता बारां

खोया पाया

मेरे आवास सं. 2/31 योजना स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का मूल नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र स्वामी विवेकानन्द नगर में कही गुम हो गया है। जिस किसी को मिला हो तो मुझे सूचित करें।

संपर्क सूत्र- सुरेन्द्र कुमार शर्मा
मो.नं. 9414862154
2/31 SVN

खोया पाया

मेरे मकान नं. 4-एच-29 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा के मूल दस्तावेजो में से (1) मूल आवंटन क्रमांक 2423 दि. 9.2.1987 (2) विशेष छूट योजना 2002 के अन्तर्गत 1316 दि. 26.2. 2002 (3) जमा रशीद नं. 9692 दि. 30.3.2002 कही गुम हो गये है। जिस किसी को मिले सूचित करे।

पता-नाथूलाल, 4-एच-29 म.न.वि.योजना कोटा

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5, कोटा (राज.)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम- 5 कोटा (राज.)

रुकमणि शर्मा विरुद्ध हरिश व अन्य

बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. CS 9 सन् 2025

बनाम नीना शर्मा पुत्री स्व. श्री दीनदयाल शर्मा स्थान चित्तौड़ा फार्म हाउस कन्सुआ रोड़ कोटा (राज)

....ने आपके विरुद्ध......के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 21 माह 4 सन् 2026 को दिन में 10AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 18 माह 3 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

आज्ञानुसार
शेहरिस्तेदार प्रथम
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 5

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई

बूंदी। नगर परिषद् बून्दी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के अंतर्गत शहर में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को एसबीआई बैंक के पास, गोपाल सिंह प्लाजा क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कार्रवाई करते हुए लगभग 15 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित प्रतिष्ठानों से 1325 का जुर्माना भी वसूला गया। यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर परिषद् की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अभियान में आयुक्त आशा मीणा, एईएन दिनेश कुमार मीणा, स्वच्छ भारत मिशन अभियंता शुभम पारिक, आईईसी पार्टनर क्लेवेरिनो की टीम से राजेन्द्र शर्मा, विद्या, रिंकू मीणा तथा नगर परिषद् बून्दी की अतिक्रमण टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

शहर के हर वार्ड का बनेगा जीआईएस मैप

बूंदी । राज्य सरकार के विजन-2047 के तहत बूंदी शहर को सुनियोजित और अत्याधुनिक तरीके से विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 15 मई 2026 तक मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए नगर परिषद क्षेत्र के हर वार्ड की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का हाई-टेक डेटाबेस तैयार कर बूंदी का मास्टर प्लान-2047 बनाया जाएगा। अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए इन दिनों नगर परिषद के सभी वार्डों में वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में नियुक्त वार्ड प्रभारी और कार्मिक आमजन को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। शहर के विकास का खाका तैयार करने में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

कोटा और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के मध्य एमओयू सम्पन्न

■ व्यक्तित्व विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार एवं शोध गतिविधियों का आयोजन करेंगी

कोटा, (निसं)। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू), कोटा और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समग्र विकास हेतु शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। एमओयू के तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से ध्यान, योग, जीवन कौशल, तनाव प्रबंधन तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार एवं शोध गतिविधियों का आयोजन करेंगी।

इस एमओयू के माध्यम से विद्यार्थियों में मानसिक संतुलन, भावनात्मक सुदृढ़ता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो.बीएल वर्मा ने कहा कि हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के साथ सम्पन्न यह एमओयू विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होगा, बल्कि उन्हें जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों से भी सशक्त बनाएगा।

यह साझेदारी को "ज्ञान और आत्म-जागरूकता का संगम" है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पहल विश्वविद्यालय को नई ऊंचाईयों तक ले जाने में सहायक होगी। उन्होंने हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका अनुभव एवं विशेषज्ञता विश्वविद्यालय समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कुलगुरु प्रो.बी.एल.वर्मा ने कहा कि यह एमओयू भविष्य में दोनों संस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। इस एमओयू का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

यह पहल शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि उनके लिए भी तनाव प्रबंधन एवं कार्य-कुशलता बढ़ाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह एमओयू शिक्षा को केवल सैद्धांतिक न रखकर व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य करेगा। इससे विद्यार्थियों को वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी।

वहीं हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि ध्यान एवं आंतरिक संतुलन के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा।

वीएमओयू के साथ हुआ यह समझौता शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार एवं मानवीय मूल्यों के समावेश की दिशा में एक सार्थक कदम है, जो भविष्य में एक सशक्त एवं संतुलित समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। वर्तमान समय में शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के साथ संपन्न यह सहयोग विद्यार्थियों को ध्यान, योग एवं आत्म-संवर्धन के विभिन्न आयामों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा।